84

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R. 3480 - III/14

श्यामलाल चतुर्वेदी पिता श्री हनुमना प्रसाद चतुर्वेदी , उम्र– 70 वर्ष, पेशा– कृषि निवासी ग्राम बड़खुरा पोस्ट– बीदा, तह0 एवं थाना उचेहरा जिला सतना (म0प्र0)

.........................निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. अच्छेलाल लोधी पिता श्री कालीचरण लोधी, उम्र लगभग 52 वर्ष
2. सियाशरण लोधी पिता ~~बद्दुआ~~ सधुवा लोधी उम्र– लगभग 53 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम बड़खुरा, पो0 बीदा, तह0 एवं थाना उचेहरा जिला सतना (म0प्र0) ------------------गैर निगरानीकर्ता / अनावेदकगण

नरेन्द्र तिवारी एड0 ... 26.9.14 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व निरीक्षक लगरगंवा तह0 उचेहरा जिला सतना के प्र.क्र. 13 / अ–12 / 13–14 आदेश दिनांक 30.06.14 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त लगरगंवा, तह0 उचेहरा जिला सतना का आदेश दिनांक 30.06.14 विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2– यह कि निगरानीकर्ता श्यामलाल चतुर्वेदी पिता हनुमान प्रसाद निवासी बड़खुरा द्वारा अपने स्वत्व, आधिपत्य की आराजी नं. 385 रकवा 0.094 हे0 के सीमांकन बावत् म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.14 को सीमांकन बावत् सूचना सरहद कृषकों को देने एवं सीमांकन के दिन मौके से अभिलेख सहित उपस्थित रहने का हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया।

4– यह कि दिनांक 11.06.14 को हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहद काश्तकारों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया तथा मौके पर पत्थर गड़ाए

श्यामलाल

– 2 –

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी निग./3480/तीन/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री नरेन्द्र तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक लगरगंवा तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 13/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 30.06.14 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। 2– आवेदक अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क सुने प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त लगरगंवा तहसील उचेहरा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बढ पुरा की आराजी न. 385 रकबा 0.94 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पंजीबद्ध किया जाकर सरहदी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी कर मौके पर उपस्थित होने के लिए लेख किया। सूचना अनुसार दिनांक 11.06.14 को श्यामलाल, अच्छेलाल, कैलाश बिहारी, सियाशरण के नामों के सामने श्यामलाल के हस्ताक्षर बने हैं अच्छे लाल के सामने श्रीकांत लोधी के, कैलाश बिहारी के सामने कैलाश बिहारी एवं सियाशरण के सामने नरेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर बने हुए हैं। अतः स्थल पंचनामा पर भी हस्ताक्षर अंकित है इससे स्पष्ट है कि सरहदी कास्तकारों एवं उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने से यह प्रतीत होता है कि सीमांकन की सूचना की जानकारी	

उनको थी। अतः राजस्व निरीक्षक लहरगंवा के न्यायालय में अच्छेलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उन्हें सूचना की जानकारी नहीं है जबकि अच्छेलाल के पुत्र श्रीकांत लोधी के सूचना पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सीमांकन की सूचना की जानकारी नहीं थी। इससे प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 03.06.14 स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक लगरगंवा तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 13/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.06.14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूपन आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य